लगता है कि एक संशोधन दायर करने के लिए गुमराह किया गया है क्योंकि आदेश पारित किया गया था, बरी होने का नहीं बल्कि एक निर्वहन का था और आदेश ने भी मामले के तथ्यों को बिल्कुल भी नहीं दिखाया, जब पुलिस रिपोर्ट दायर की गई थी, जैसे कि क्या आरोप था किसी भी गवाह की जांच की गई है या नहीं, इसके बारे में भी कहा गया है या नहीं। ट्रायल कोर्ट ने उक्त आवेदन को स्वीकार करके और याचिकाकर्ता का निर्वहन करके इन सवालों पर चुप्पी देखी।

(7) उपरोक्त चर्चा के साथ, मैं इस विचार से हूं कि संहिता के धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार, आवेश के अनुसार, आवेश के रूप में एक बरी होने के लिए डिस-चार्ज ऑर्डर की राशि थी दोषी, उसे बरी करने का एक आदेश रिकॉर्ड करना होगा और अगर वह आरोपी को दोषी पाता है, तो सजा के सवाल पर उसे सुनने के बाद आरोप को सजा सुनाई जानी चाहिए। यदि वह आरोपी को दोषी नहीं पाता है, तो उसे बरी के आदेश के अलावा किसी भी अन्य आदेश को पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार जब निचली रेविसिजनल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि डिस्चार्ज ऑर्डर एक बरी हो गया है, तो इस मामले से निपटने के लिए इसका कोई और अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(8) मामले के इस दृष्टिकोण में, इस याचिका की अनुमति है और निचली पुनर्विचार न्यायालय के आरडीआर को अलग रखा गया है। यदि राज्य ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देना चाहता है, तो उसे इस अदालत के समक्ष एक आपराधिक अपील दायर करनी होगी और यदि राज्य की सलाह दी जाती है तो देरी की तलाश करनी होगी।

आर.एन.आर.

जज एम. एम. पुंछी और अमरजीत चौधरी

अवतार कृष्ण सूद और एक अन्य, याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाताओं।

1988 के सिविल रिट याचिका संख्या 3989

4 अगस्त, 1988।

हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट (1977 का XIII)- एक विशेष क्षेत्र में आवासीय प्लॉट के आवंटन के लिए आवेदन- इस तरह के आवंटन- औपचारिक आवंटन पत्रों के लिए तैयार किए गए हैं जो उस विशेष क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं, जो इस तरह के आवंटियों के लिए आवंटित हैं- इस तरह के आवंटियों के लिए। सरकार की कार्रवाई की वैधता।

हेल्ड, कि आवेदकों को उसी क्षेत्र में वैकल्पिक आवंटन का अधिकार जहां उन्हें आवंटित भूखंडों को बिना किसी कारण के इनकार कर दिया गया है। जब सेक्टर 22, 23 और 23-ए में प्लॉट उत्तरदाताओं के साथ उपलब्ध होते हैं, तो यह न केवल उनकी कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि इन क्षेत्रों में याचिकाकर्ताओं को पहले समायोजित करने के लिए नैतिक जिम्मेदारी भी है। एक कल्याणकारी राज्य में, इस बात पर जोर देना अनावश्यक है कि दिन की सरकार न केवल जिम्मेदारी की भावना के साथ, बल्कि नैतिकता की एक बड़ी डिग्री के साथ राज्य को चलाती है। इसलिए, हम याचिकाकर्ताओं के कारण वैधता को पूरा किए बिना, आवंटन या नीलामी के लिए पूर्वोक्त तीन क्षेत्रों में खुले भूखंडों को फेंकने में राज्य के निर्णय पर अंकुश लगाते हैं।

(पैरा ४)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका यह प्रार्थना करते हुए कि यह माननीय न्यायालय प्रसन्न हो सकता है:-

(i) मामले के रिकॉर्ड के लिए भेजें;

(ii) याचिकाकर्ताओं को याचिकाकर्ताओं को याचिकाकर्ताओं के वैध दावे को संतुष्ट किए बिना नीलामी द्वारा एक ही क्षेत्र में उपलब्ध भूखंडों को निपटाने

के लिए और आगे की दिशा के लिए उत्तरदाताओं को निर्देशित करने के लिए मंडमस का एक रिट जारी करना।

(iii) किसी भी अन्य रिट, ऑर्डर या दिशा को जारी करें जो यह माननीय अदालत याचिकाकर्ताओं के मामले के परिधि में फिट और उचित रूप से फिट हो सकता है।

(iv) उत्तरदाताओं को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना जारी करने के साथ फैलाव।

(vi) अनुलग्नक की मूल प्रमाणित प्रतियों की दाखिल के साथ फैलाव।

और

(vii) याचिका के लिए रिट याचिका की लागत का पुरस्कार।

सी। एम। चोपड़ा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए।

एस। सी। मोहन्टा, ए.जी. हरियाणा, ए। मोहन्टा, उनके साथ वकील, उत्तरदाताओं के लिए 1 और 3।

V. K. Vasistha, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

प्रलय

जज एम। एम। पंचही, जे। (ओरल)।

ये छह याचिकाएँ हैं जो CWP Nos। 3989, 4193, 4345, 4346, 5759 और 1988 के 5957 हैं जो मोशन स्टेज पर हमारे सामने रखी गई हैं।

(2) पार्टियों के वकील पर सहमति व्यक्त की जाती है कि इन मामलों के प्रवेश के मामले में, ठहराव होने के लिए बाध्य होता है, न तो याचिकाकर्ताओं को वह राहत मिलती है जो वे तुरंत मांगते हैं और न ही रेस्पॉन-डेंट्स अपने मामलों की व्यवस्था करने में सक्षम होंगे। उपयुक्त तरीके। हम इस प्रकार, उनकी सहमति के साथ, गति चरण में इन याचिकाओं का निपटान करते हैं।

(3) 1988 के CWP नंबर 4346 में याचिकाकर्ताओं को छोड़कर, पांच मामलों के पुन: मुख्य याचिकाकर्ताओं को एक शहरी एस्टेट में गुड़गांव में

सेक्टर्स 23 और 23-ए में अवशेषों के आवंटन के लिए लागू किया गया है, जो हरियाणा शहरी द्वारा उड़ाया गया था। हरियाणा की राज्य सरकार की देखभाल और नियंत्रण के तहत विकास प्राधिकरण। 1988 के CWP नंबर 4346 में पेटी-tioners ने सेक्टर 22 में एक भूखंड के लिए आवेदन किया था। चूंकि बहुत सारे आवेदक थे, इसलिए हुडा ने भूखंडों को आकर्षित करने का सहारा लिया। सफल ड्रॉ पर प्रत्येक याचिकाकर्ता को प्लॉट नंबर को एड किया गया था, जो उसके कारण गिर गया। चूंकि औपचारिक याचिकाकर्ताओं को औपचारिक आवंटन करने वाले पत्रों को हुडा द्वारा रोक दिया जा रहा था, इसलिए उन्होंने पूछताछ की और यह पता चला कि याचिकाकर्ताओं के भूखंड जहां थे, वे इस अदालत में या तो लिट-गेशन के अधीन थे या सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय में भारत या सरकार द्वारा उन भूस्वामियों को रिहा होने के बारे में सोचा जा रहा था जिनसे जमीन हासिल कर ली गई थी। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं ने एक ही क्षेत्र में वैकल्पिक भूखंडों के लिए कहा, लेकिन उनकी प्रार्थना को बहरे कान में बदल दिया गया। इसने इन याचिकाओं को जन्म दिया।

(४) गति की सूचना के जवाब में, उत्तरदाताओं की याचिका यह है कि याचिकाकर्ताओं के पास वैकल्पिक क्षेत्रों में और अब प्रचलित कीमत पर प्लॉट हो सकते हैं। उसी क्षेत्रों में वैकल्पिक आवंटन का उनका अधिकार जहां उन्हें आवंटित किए गए थे, बिना किसी पर्याप्त कारण के इनकार किया जा रहा है। हमारा ध्यान प्रेस री-बंदरगाहों पर खींचा गया है जिसमें सेक्टर 22, 23 और 23-ए में भूखंडों को आबंटन के लिए आवेदनों को आमंत्रित करके और यहां तक कि एयूसी-टियोन के लिए भी सार्वजनिक रूप से खुला फेंक दिया गया है। जब 22, 23 और 23-ए में प्लॉट उत्तरदाताओं के साथ उपलब्ध होते हैं, तो यह न केवल उनकी कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि इन सेकंड-टॉर्स में याचिकाकर्ताओं को पहले समायोजित करने के लिए नैतिक जिम्मेदारी भी है। एक कल्याणकारी राज्य में, इस बात पर जोर देना अनावश्यक है कि दिन का गो-वर्नमेंट राज्य को न केवल प्रतिक्रिया की भावना के साथ चलाता है, बल्कि

नैतिकता की एक बड़ी डिग्री के साथ। इसलिए, निसंकोच हम याचिकाकर्ताओं के कारण कानूनी रूप से मिलने के बिना आवंटन या नीलामी के लिए पूर्वोक्त तीन क्षेत्रों में भूखंडों पर फेंकने में राज्य के डिजाइन पर अंकुश लगाते हैं।

(५) पूर्वोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, हम इन याचिकाओं की अनुमति देते हैं और उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को एक प्लॉट आवंटित करने के लिए निर्देशित करते हैं उन्हीं क्षेत्रों में, जिनमें से प्रत्येक को आवंटन के लिए हकदार रखा गया है, एक ही नियम और शर्तों पर जैसे कि अब आवंटित किए जाने वाले भूखंड को मूल रूप से आवंटित किया गया था। आज से एक महीने की अवधि के भीतर ऐसा ही किया जाए और जब तक किया जाए, तब तक हम इन क्षेत्रों में भूखंडों के आवंटन और नीलामी में रहते हैं। परिस्थितियों में हम राज्य को लागत के साथ बोझ नहीं देंगे।

जज वी रामास्वामी , सी। जे। और जी। आर। मजीथिया,

अमरिक सिंह और एक अन्य, -पुटर्स। पंजाब और अन्य राज्य बनाम, -सपोषण।

1985 के संशोधित सिविल रिट याचिका संख्या 5058

8 अगस्त, 1988।

पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर मात्रा I, भाग I, 1969-regI। 56- विश्वविद्यालय के कर्मचारी-सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष के बारे में सोचे गए कर्मचारियों को रिटायर में स्कूल शिक्षा बोर्ड-सब के लिए आवंटित किया गया- विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की उम्र में बदलाव के बारे में इस तरह के बदलाव से पहले परिवर्तन-बोर्ड के कर्मचारियों पर इस तरह के बदलाव के आवंटन-प्रभाव के बारे में बदलाव।

आयोजित, कि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर मात्रा I, भाग I, 1969 के विनियमन 56 (1) के तहत, कक्षा IV के कर्मचारियों को छोड़कर प्रशासनिक कर्मचारियों के सभी पूरे समय भुगतान किए गए सदस्यों को 58 वर्ष की आयु

प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना था। विनियमन याचिकाकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण करेगा और इस विनियमन के अनुसार, पेटी-टियोनर्स को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त होना था। 17 नवंबर, 1979 को सिंडिकेट का निर्णय, केवल उस निर्णय की पुष्टि करता है जो विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों की सेवाओं को बोर्ड की सेवा में आवंटित करने के समय लिया गया था। इसने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया और न ही इसका मतलब यह हो सकता है कि अंतिम पुष्टि होने तक याचिकाकर्ताओं को विश्वविद्यालय की सेवा में माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं की शर्तें और सेवा के कंडियन वे थे जो बोर्ड में उनके आवंटन के समय विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किए गए थे।

(पैरा 15)

भारत के संविधान के 226/227 के अनुच्छेद के तहत याचिका प्रार्थना करते हैं कि सर्टिफिकेट मंडामस या किसी अन्य उपयुक्त रिट दिशा या आदेश की एक रिट जारी की जाए, उत्तरदाताओं को डर्ट करना:-

(i) मामले के पूर्ण रिकॉर्ड का उत्पादन करने के लिए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी
जींद, हरियाणा

Avtar Krishan Sood and another *v.* State of Haryana and others
(M. M. Punchhi, J.)